सरकूलर नं0: अपमा/2018–2020/116 दिनांक : 21–10–2019

''जीएसटी आयुक्त महोदय के साथ रिफण्ड के सन्दर्भ में बैठक का आयोजन''

व्यापारी भाईयों, जीएसटी व रिफण्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आपकी संस्था 'अपमा' सदैव अग्रसर रहती है। इसी श्रृंखला में सोमवार दिनांक 21–10–2019 को चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री(CTI) के संयोजक श्री ब्रिजेश गोयल जी के नेतृत्व में दिल्ली की विभिन्न–विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जीएसटी विभाग के आयुक्त श्री राजेश प्रसाद जी से उनके आई.टी.ओ. स्थित कार्यालय में बैठक की तथा अपमा की तरफ से प्रधान श्री विष्णु भार्गव जी ने भाग लिया।

साथियों, व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने आयुक्त महोदय जी के समक्ष जीएसटी से संबंधित अपनी समस्याएं रखी और बताया कि इस वक्त समस्त व्यापार जगत मंदी के दौर से गुजर रहा है तथा आर्थिक तंगी के कारण व्यापारियों को अपना व्यापार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपमा की तरफ से प्रधान श्री विष्णु भार्गव जी ने आयुक्त महोदय जी को बताया कि जीएसटी विभाग से हमारे व्यापारियों को पिछले दो महीना का जीएसटी रिफण्ड नहीं मिल रहा है, रिफण्ड लेने के लिए व्यापारियों को विभाग के कई चक्कर लगाने पड़ रहें है। इसके बावजूद भी उनको रिफण्ड नहीं मिल रहा है इसलिए व्यापारियों की इस मुख्य परेशानी के निराकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को उनका बकाया पिछले दो महीने का रिफण्ड मिलने शुरू हो सकें। इस पर जीएसटी आयुक्त महोदय जी ने आश्वासन दिया कि इस समस्या पर स्वयं ध्यान देंगे ताकि व्यापारियों को उनका जीएसटी रिफण्ड मिलने में कोई दिक्कत नहीं आऐगी तथा विभाग द्वारा जीएसटी रिफण्ड के सभी केस तेजी से निपटाए जाएंगें।

अतः आप सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि जीएसटी रिफण्ड से संबंधित अपने दस्तावेज/कागजगत पूर्ण करके विभाग में अति शीघ्र जमा करवा दें ताकि जीएसटी रिफण्ड प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सकें।

"आपके व्यापार की परम हितैषी आपकी अपनी अपमा"

कृ0प0उ0..........2

सरकूलर नं0: अपमा/2018–2020/117

''सावधान'' ''सावधान'' ''सावधान''

दिल्ली की कानून व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टि से आपको सूचित कर रहे हैं कि स्थानीय कश्मीरी गेट व मोरी गेट बाजार की सुरक्षा का दायित्व हम सभी पर निर्भर करता है। कुछ असामाजिक तत्व व आतंकवादी संगठन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना बना सकते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपके पड़ौसियों के लिए जानलेवा हो सकती है। पुलिस विभाग की तरफ से कुछ हिदायतें जारी की गई हैं, जिनका पालन करना सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यापारियों के लिए हितकर होगा।

- ☞ यदि कोई व्यक्ति लावारिस सामान रखता है तो उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दी जाये।
- ☞ किसी भी तरह के लावारिस पड़े माल को हाथ न लगायें, उसे छुऐं नहीं, उससे दूर रहें और इस तरह के सामान को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें।
- ☞ आप अपनी दुकान के आगे पेटियां या अन्य सामान न रखें ना किसी को रखने दें, हो सकता है कोई इनमें विस्फोटक पदार्थ छुपा दें।
- ☞ किसी भी अनजान व्यक्ति के सामान की जिम्मेदारी न लें, उसमें बम हो सकता है।
- ☞ अपनी दुकान के सामने वाहन खड़ा न करें और न किसी को वाहन खड़ा करने दें।
- ☞ आपकी सतर्कता और आपकी सूचना किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है।
- ☞ यदि कोई भी वाहन लावारिस दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरन्त पी.सी.आर. वैन अथवा 100 नम्बर पर या टेलीफोन नम्बर 23968730, पर थाना कश्मीरी गेट, से सम्पर्क करें।

सरकूलर नं0: अपमा/2018–2020/118

''अपमा के सरकूलर निकालने हेतु छपे हुए पेपरों की मांग''

व्यापारी भाईयो, आपको विदित है कि अपमा के सरकूलर अधिकतर छपे हुए सुन्दर पेपरों पर जारी होते हैं। इन पेपरों में व्यापारी भाई अपने ट्रेड के उत्पादकों की तीन इंच चौड़ी रंगीन स्ट्रिप देकर विज्ञापन का लाभ उठाते हैं। आपके PRODUCT के प्रचार का यह बहुत ही अच्छा एवं आसान तरीका है। अपमा इसमें विज्ञापनदाता से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेती है। केवल छपा हुआ कागज लेती है। अतः इच्छुक व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन के इस सुनहरे अवसर का पूरा–पूरा लाभ उठाकर अपमा को छपे हुए पेपर देकर सहयोग प्रदान करें। एवं अपने PRODUCT का प्रचार करें।

सरकूलर नं0: अपमा/2018–2020/119

''श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाश पर्व के सन्दर्भ में''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि **श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाश पर्व** के उपलक्ष्य में **मंगलवार दिनांक 12 नवम्बर, 2019** को कश्मीरी गेट व मोरी गेट के समस्त बाजार बन्द रहेंगे।

(विनय नारंग)
महासचिव